न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :–पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
326 / 2023	24.07.2023	21.02.2024

उनवान

1. बसंतीलाल पुत्र कालूराम जाति अहीर निवारी ग्राम दौलतसिहंपुरा तह0 नीमराना।

:–वादी।

बनाम

1. निर्मला देवी पत्नी कंवरसिहं जाति अहीर निवासी ग्राम कुन्दनसिहंपुरा तह0 नीमराना।
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार नीमराना।

:– प्रतिवादीगण।

दावा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिती:– 1 श्री मकरध्वज शर्मा एड0 वादी की ओर से।
2 श्री पिताम्बर एड0 प्रतिवादी सं0 01 की ओर से।

–::निर्णय::–

दिनांक :–21.02.2024

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादी ने वाद पेशकर निवेदन किया कि हाल आराजी ख.नं. हाल 254 / 0.20 वाके ग्राम दौलतसिहंपुरा का 1 / 2 भाग यानी 10 एयर व हाल ख0न0 04 / 0.16 वाके ग्राम दौलतसिहपुरा में से 1 / 80 भाग का बेचान मिन वादी द्वारा जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 21.03.2021 को प्रतिवादी सं0 01 निर्मला देवी को किया था। मुताबिक बयनामा प्रतिवादी सं0 01 के हक में इंतकाल सं0 2060 दर्ज हो गया लेकिन इंतकाल में ख0न0 04 / 0.16 का प्रतिवादी सं0 01 के हक में 79 / 80 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकी क्रेता प्रतिवादी सं0 01 का 1 / 80 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था एवं मिन वादी का हिस्सा 79 / 80 दर्ज होना चाहिए था। राजस्व कर्मचारियों द्वारा बयनामा के मुताबिक इंतकाल दर्ज नहीं किया मिन वादी व प्रतिवादी सं0 01 का हिस्सा गलत रुप से दर्ज कर दिया गया जिसकी दुरुस्ती हेतु मिन वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. अन्त में वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना की हैं:–

(क) कि डिक्री दुरुस्ती इन्द्राजात इस अमर की सादिर अता फरमाई जावे कि दावा हाजा में वर्णित आराजी ख0न0 हाल आराजी ख0न0 हाल 04 / 0.16 है0, वाके ग्राम दौलतसिहंपुरा तह0 नीमराना जिला अलवर राज0 के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 01 का दर्ज 79 / 80 हिस्सा कलमजन किया जाकर, उसके स्थान पर मुताबिक बयनामा दिनांक 24.03.2021 के प्रतिवादी सं0 01 का 1 / 80 हिस्सा दर्ज किया जावे एवं उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में मिन वादी का 1 / 80 हिस्सा को कलमजन किया जाकर, उसके स्थान पर मुताबिक बयनामा दिनांक

धिकारी
तली–बहरोड)

Sidd/2023

24.03.2021 के मिन वादी का 79/80 हिस्सा दर्ज किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने के आदेश फरमाये जावे एवं इसी अनुसार हाल जमाबंदीयात ख0 गिरदावरीजात में अंकन करने का आदेश पारित किया जावें।

(ख) डिकी हुक्म इम्तनाई दवामी बहक वादी विरुद्व प्रतिवादी जारी की जाकर पाबंद किया जावे की आराजी उक्त को किसी भी प्रकार से बेचान नहीं करें, मौका रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें।
(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।
(घ) अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे सादीर फरमाया जावे ।

3. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया । बाद तामिल प्रतिवादी सं0 01 की ओर से श्री पिताम्बर एड0 का वकालतनामा पेश हुआ। इसके पश्चात वादी व प्रतिवादी सं0 01 ने दिनांक 24.01.2024 को लिखित राजीनामा पेश किया, जिस राजीनामे में प्रतिवादी सं0 01 ने वादी के सम्पूर्ण वाद को स्वीकार किया एवं वाद को डिकी किये जाने की सहमति दी हैं राजीनामा प्रस्तुत होने पर पक्षकारान को पढकर सुनाया गया, जिन्होने राजीनामा सही होना स्वीकार किया एवं राजीनामा बाद तस्दीक शातिल पत्रावली किया गया।
4. वादीगण ने अपने वाद की पुष्टि में नकल जमाबंदी संवत 2073–76,नकल जमाबंदी संवत 2069–72, फोटोप्रति बयनामा एवं फोटोप्रति आधार कार्ड पेश किये हैं।
5. वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे प्रस्तुत फोटोप्रति बयनामा दिनांक 24.03.2021 से साबित है कि वादी बसंतीलाल द्वारा ख0न0 04/0.16 के 1/80 भाग का बेचान किया था परन्तु राजस्व रिकार्ड में केता/प्रतिवादी सं0 01 का हिस्सा सहवन से 1/80 के बजाय 79/80 दर्ज कर दिया गया, इस बात को प्रतिवादी सं0 01 ने राजीनामा में स्वीकार किया है कि मेरे नाम से जो हिस्सा दर्ज किया गया है वह बयनामा के अनुसार सही नहीं है, जिसे दुरुस्त किये जाने में मुझे कोई आपत्ति नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं राजीनामा के आधार पर वादी का वाद शाबित होता है। वाद डिकी किया जाना कानून संगत व न्यायोचित है।

6. अतः आदेश है कि:–
दावा वादी बहक वादी विरुद्व प्रतिवादी सं0 01 बरूए राजीनामा डिक्री किया जाकर हाल आराजी ख0 नं0 हाल 04/0.16 वाके ग्राम दौलतसिहंपुरा के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 01 का दर्ज 79/80 हिस्सा कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर 1/80 हिस्सा दर्ज किया जावें एवं वादी के नाम दर्ज 1/80 हिस्सा को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी के नाम 79/80 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में बाद दुरुस्ती अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

21-02-2024

पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, नीमराना (कोटपुतली-बहरोड़)
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली—बहरोड)
पीठासीन अधिकारी :—पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
326 / 2023	24.07.2023	21.02.2024

उनवान

1. बसंतीलाल पुत्र कालूराम जाति अहीर निवासी ग्राम दौलतसिहंपुरा तह0 नीमराना।
:—वादी।

बनाम

1. निर्मला देवी पत्नी कंवरसिहं जाति अहीर निवासी ग्राम कुन्दनसिहंपुरा तह0 नीमराना।
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार नीमराना।

:— प्रतिवादीगण।

दावा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिती:— 1 श्री मकरध्वज शर्मा एड0 वादी की ओर से।
2 श्री पिताम्बर एड0 प्रतिवादी सं0 01 की ओर से।

—::पर्चा डिक्री::—

21.02.2024

दावा वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी सं0 01 बरूए राजीनामा डिक्री किया जाकर हाल आराजी ख0 नं0 हाल 04 / 0.16 वाके ग्राम दौलतसिहंपुरा के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 01 का दर्ज 79 / 80 हिस्सा कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर 1 / 80 हिस्सा दर्ज किया जावें एवं वादी के नाम दर्ज 1 / 80 हिस्सा को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी के नाम 79 / 80 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में बाद दुरुस्ती अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा।

21-2-2024

पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)